न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/138/2025 दायर दिनांक 18.09.2025 रजि0 न0 2025/347

अपीलार्थीः—

श्री अमर चन्द मीना, नि. जे—77, तीसरा तल, पर्यावरण कॉम्पलेक्स, इगनू रोड, नई दिल्ली—110068

प्रत्यर्थीः—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 28.10.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा—6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 23.07.2025 के परिपेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराने से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 29.09.2025 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया प्रत्यर्थी का जवाब पत्रांक लो०सू०अ०/प्रथम अपील/2025/2054 दिनांक 28.10.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक 23.07.2025 के परिपेक्ष्य में सूचना प्राप्त नहीं होने का अभिकथन किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि आपका सूचना आवेदन दिनांक 23.07.2025 इस कार्यालय को पोर्टल पर जरिये आवेदन संख्या 293731548515926 दिनांक 25.07.2025 के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज किया गया है के परिपेक्ष्य में संबंधित अनुभाग से प्राप्त सूचना (पत्र सं. 4251 दिनांक 15.10.2025) के आधार पर RTI Online Portal पत्र सं. 8103167144 दिनांक 15.10.2025 के माध्यम से विनिश्चय कर अभिलेख पर उपलब्ध छः पृष्ठिय बिन्दुवार सूचना आपको ऑनलाइन व डाक के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है तथापि प्रथम अपील के अनुसरण में पूर्व में प्रेषित सूचना की छाया प्रति संलग्न कर पंजीकृत पत्र के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जा रही है।
6. प्रत्यर्थी द्वारा अवगत कराया है कि वांछित सूचना (भूमि आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही) संबंधित प्रकरण में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर अंतर्गत वाद विचाराधीन होने के कारण प्रशासनिक स्तर से किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना/अन्य सूचना अपेक्षित नहीं है।
7. प्रत्यर्थी का प्रतिउत्तर एवं अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का अवलोकन एवं मनन करने पर प्रत्यर्थी का जवाब पत्रांक लो०सू०अ०/प्रथम अपील/2025/2054 दिनांक 28.10.2025 द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर निस्तारित की जाती है। उभय पक्ष को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे।
8. **आज दिनांक 28.10.2025 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया ।**

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर